न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या: 78 / 2025
निर्णय दिनांक : 20.08.2025
दायर दिनांक : 13.05.2025
जीसीएमएस नम्बर : 2025 / 151

1 अन्नाराम पुत्र चिमनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम गुडावडी तहसील सुजानगढ
2 गीता पुत्री चिमनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम गुडावडी तहसील सुजानगढ
3. त्रिलोकचन्द पुत्र चिमनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम गुडावडी तहसील सुजानगढ
4. मन्जू पुत्री चिमनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम गुडावडी तहसील सुजानगढ
5. सावित्रीदेवी पत्नी चिमनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम गुडावडी तहसील सुजानगढ
6. सीताराम पुत्र चिमनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम गुडावडी तहसील सुजानगढ

..........................प्रार्थी / वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ / सालासर

..............................अप्रार्थी / प्रतिवादी

प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल आर एक्ट एवं धारा 88 आरटी एक्ट

उपस्थित :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री रमेशकुमार बिशु।
2. अप्रार्थी पेरोकार राज उपस्थित।

–:निर्णय:–

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि वाके रोही ग्राम गुडावडी मे खाता सख्या 622 में अन्य खसरा संख्या 128 एंव 138 के साथ मे खेत खसरा न. 2135 / 1124 तादादी 0.5095 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 2136 / 546 तादादी 2.4664 हेक्टेयर भूमि एवं 955 / 550 तादादी 0.5058 हेक्टयर भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज स्थित है। उपरोक्त भूमि एक दुसरे के चिपती है एवं खसरा न. 2135 / 1124 तादादी 0.5095 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 2136 / 546 तादादी 2.4664 हेक्टेयर के मध्य कटाणी रास्ता एवं उत्तरी तरफ सुजानगढ़ से फतेहपुर हाईवे भूमि है। खसरा न. 2135 / 1124 तादादी 0.5095 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 2136 / 546 तादादी 2.4664 हेक्टेयर के मध्य का कटाणी रास्ता रेकार्ड के अनुसार जिस स्थान पर राजस्व रेकार्ड मे दर्शाया गया है उस स्थान पर नही बनकर मौके पर रेकार्ड से पूर्वी तरफ सडक का निर्माण हुआ है। राजस्व रेकार्ड में नक्शा गलत स्थान पर तरमीम किया हुआ है। उपरोक्त स्थिति के कारण खसरा न. 2135 / 1124 तादादी 0.5095 हेक्टेयर रेकार्ड मे है परन्तु मौके पर 0.7680 हेक्टेयर है एवं खसरा नम्बर 2136 / 546 तादादी 2.4664 हेक्टेयर रेकार्ड मे है जो कि मौके पर 2.2079 है0 है।

उपरोक्त राजस्व तरमीम गलती कटाणी रास्ता मौके पर रेकार्ड से पूर्वी तरफ गलत सडक बनने के कारण हुआ है जिससे वादी की भूमि मौके के अनुसार रेकार्ड मे कम ज्यादा हुई है। जिससे प्रार्थी वादी को भारी नुकसान हो रहा है।

उपरोक्त दोनो खसरा न. 2135 / 1124 तादादी 0.5095 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 2136 / 546 तादादी 2.4664 हेक्टेयर राजस्व रेकार्ड के अनुसार कुल तादादी भूमि 2.9759

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ

हेक्टेयर भूमि होती है एंव रेकार्ड के विपरीत खसरा न 2135 / 1124 तादादी 0.5095 हेक्टेयर रेकार्ड मे है परन्तु मौके पर 0.7680 हेक्टेयर है एंव खसरा नम्बर 2136 / 546 तादादी 2.4664 हेक्टेयर रेकार्ड मे है जो कि मौके पर 2.2079 है के अनुसार दर्ज करने पर भी 2.9759 हेक्टेयर होती है। जिससे किसी अन्य खातेदारान को कोई नुकसान नहीं है।

राजस्व रेकार्ड मे खसरा न. 2135 / 1124 तादादी 0.5095 हेक्टेयर रेकार्ड में है परन्तु मौके पर 0.7680 हेक्टेयर है एंव खसरा नम्बर 2136 / 546 तादादी 2.4664 हेक्टेयर रेकार्ड मे है जो कि मौके पर 2.2079 है जिसके अनुसार वादी इस आशय की घोषणा करवाना चाहता है। इनके मध्य जो कटाणी रास्ता सड़क बनी हुई है वह रेकार्ड से पूर्वी तरफ बनी हुई है जिसके अनुसार रेकार्ड में कायम करवाना चाहता है। ताकि वादी भविष्य मे होने वाली परेशानियो से दूर रह सके एंव गलत रेकार्ड के आधार पर प्रार्थी वादी को नुकसान न हो । प्रार्थी का खेत वाके रोही गुडावडी तहसील सुजानगढ़ में होने से प्रार्थना पत्र सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है ।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि घोषित किया जावे कि वाके रोही गुडावडी के खसरा न. 2135 / 1124 तादादी 0.5095 हेक्टेयर रेकार्ड में है परन्तु मौके पर 0.7680 हेक्टेयर है एंव खसरा नम्बर 2136 / 546 तादादी 2.4664 हेक्टेयर रेकार्ड में है जो कि मौके पर 2.2079 है उनके मध्य दर्शाया गया रास्ता गलत जगह दर्शित है एंव जो रास्ता भूमि का सीमांकन दर्शाया है गलत है वर्तमान मे दर्शाया राजस्व एक्स एंव राजस्व रेकार्ड खातेदारी गलत है जो कि दुरस्त किये जाने योग्य है उपरोक्त खसरा न. 2135 / 1124 तादादी 0.5095 हेक्टेयर रेकार्ड मे है जो 0.7680 हेक्टेयर की खातेदारी घोषित की जावे एव खसरा नम्बर 2136 / 546 तादादी 2.4664 हेक्टेयर रेकार्ड मे है जिसकी खातेदारी 2.2079 हेक्टेयर की खातेदारी घोषित की जावे जिसके अनुसार राजस्व एक्स नक्शा मे तरमीम किया जावे एंव मौके की स्थिति के अनुसार रेकार्ड मे दुरस्ती करवाये ।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से हस्तगत प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी रोही ग्राम गुडावड़ी का खसरा नम्बर 2135 / 1124 रकबा 0.5095 है0 व ख0नं0 2136 / 546 अंकित है रकबा 2.4664 है0 दर्ज है। उक्त दोनों खसरों के बीच एक कटाणी रास्ता (खसरा नम्बर 431) है उक्त रास्ते पर डामर सड़क बनी हुई है। मौका स्थिति पर उक्त कटाणी रास्ते के पश्चिमी ओर मौका कब्जा जांकर करने पर ख0नं0 2135 / 1124 का 0.7468 है0 पाया गया व सम्बन्धित रास्ते के पूर्वी ओरमौके कब्जा जांच करने पर खसरा नम्बर 2136 / 546 का रकबा 2.2291 है0 पाया गया। खसरा नम्बर 2135 / 1124 का रकबा राजस्व रिकॉर्ड में 0.5095 है0 है जो कटाणी रास्ते के पश्चिम में है लेकिन मौका स्थिति पर कटाणी पर सड़क बनी हुई है जिसके पश्चिम में कब्जा 0.7468 है0 है। उक्त सड़क के पूर्वी तरफ राजस्व रिकॉर्ड में ख0नं0 2136 / 546 का रकबा 2.4664 है0 है परन्तु मौके पर सड़क के पूर्वी ओर ख0नं0 2136 / 546 का रकबा 2.2291 है0 है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते सुजानगढ़ जिला चूरू

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

दोनों खसरा नम्बर 2136/546 व 2135/1124 का मौका स्थिति अनुसार कटाणी के पूर्वी व पश्चिमी ओर जांच करने पर दोनों का रकबा राजस्व रिकॉर्ड अनुसार नहीं है। दोनों खसरों पश्चिम में 2135/1124 व पूर्व में 2136/546 के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में कटाणी रास्ता ख0नं0 431 जहां कटा है मौके पर उस पर बनी सड़क रिकॉर्ड के अनुसार नहीं है। तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा मौका स्थिति अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में भी कटाणी रास्ता दर्ज किया जाना उचित बताया।

बहस सुनी गयी। पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट तहसीलदार तथा पटवारी द्वारा प्रस्तुत नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 2136/546 व 2135/1124 का रकबा राजस्व रिकॉर्ड अनुसार नहीं है। खसरा संख्या 2135/1124 तादादी 0.5095 है0 रिकॉर्ड में है परन्तु मौके पर 0.7468 है0 है एवं खसरा नम्बर 2136/546 तादादी 2.4664 है0 रिकॉर्ड में है जो कि मौके पर 2.2291 है0 है। दोनों खसरों पश्चिम में 2135/1124 व पूर्व में 2136/546 के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में कटाणी रास्ता ख0नं0 431 जहां कटा है मौके पर उस पर बनी सड़क रिकॉर्ड के अनुसार नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम मौका अनुसार नहीं होने से प्रार्थी को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार मौका स्थिति अनुसार राजस्व एक्स एवं राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी गलत है जो कि दुरस्त किये जाने योग्य है।

इसलिए मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश:–

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही गुडावड़ी तहसील सुजानगढ़ में खसरा संख्या 2135/1124 तादादी 0.5095 है0 रिकॉर्ड में है जिसकी खातेदारी मौका स्थिति अनुसार 0.7468 है0 एवं खसरा नम्बर 2136/546 तादादी 2.4664 है0 रिकॉर्ड में है जिसकी खातेदारी मौका स्थिति अनुसार 2.2291 है0 किये जाये। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जाये।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2025 को टंकित करवाया जाकर सरेआम इजलास में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़
सत्यमेव जयते

(ओमप्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़